न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 28 / 24 वर्ष 2024

GCMS NO :–2024 / 138

बउनवानी:–सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. श्री कमल सिंह गुर्जर निवासी एम.पी. कॉलोनी सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद

मो0 इमरान खान वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 13.8.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा .दिनांक 8.10.2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 27.9.2024 को खाद्य विभाग राज0 जयपुर के आदेशो की पालना में जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलु एल.पी. जी.गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी जॉच कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी की फर्म मै राम श्याम फूडस सवाईमाधोपुर पर घरेलू गैस सलेण्डर का अवैध भण्डारण पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये 5 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 8.10.2024 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्रीमति पूजा मीना प्रवर्तन निरीक्षक, बहमंराह, सुश्री ज्योति शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 27.9.2024 को अप्रार्थी की फर्म मै.राम श्याम फूडस सवाईमाधोपुर पर पहुँचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच श्री कमल सिंह गुर्जर पुत्र श्री राधेश्याम गुर्जर निवासी एम.पी. कॉलोनी सवाईमाधोपुर उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 14.2. किलोग्राम के 5 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डार एवं फर्म पर व्यवसायिक कार्य मे अवैध उपयोग लेते हुए पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर घरेलू गैस सलेण्डर का उपयोग किया गया है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये निम्न घरेलू 5 गैस सलेण्डर को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया गया एवं निम्नानुसार जब्त किये गये सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स विनायक इण्डेन गैस ऐजेन्सी सवाईमाधोपुर के प्रतिनिधि श्री मुकेश बैरवा पुत्र श्री रामफूल बैरवा को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुदर्गी मे दिये गये है। मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेन्डंर जब्त किये गये है।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	एस.आर. नं.	खाली सिलेण्डर का वजन किग्रा	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार किग्रा	शुद्ध गैस वजन किग्रा
1	आईओसीएल	082	15.7	16.0	0.300
2	आईओसीएल	1715	15.6	24.0	8.400
3	आईओसीएल	255585	15.8	19.2	3.400
4	आईओसीएल	11685	19.3	[illegible]	19.300
5	आईओसीएल	707330	19.4	21[illegible]	1.600
	कुल गैस भार		85.80		33.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:53 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 5 गैस सिलेन्डर को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुत. 6ए संख्या 28/2024 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम कमल सिंह गुर्जर)

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि जॉच दल द्वारा प्रार्थी के विरूद्व निराधार तथ्यो के आधार पर अप्रार्थी को परेशान करने हेतु 6ऐ का प्रकरण बनाया है। जॉच अधिकारी द्वारा 5 गैस सलेण्डर जप्त करना बताया है जिसमे से 2 गैस सलेण्डर प्रार्थी की होटल के मालिक राम एण्ड श्याम ट्रक यूनियन चौराहा बजरिया सवाईमाधोपुर के नाम से रेणु इण्टर प्राईजेज शिव मंदिर के पीछे टोंक रोड़ बजरिया सवाईमाधोपुर से खरीदे गये थे जिनका इन्द्राज दिनांक 27.9.2024 की गैस डायरी मे है उक्त गैस डायरी की फोटो प्रति जवाब के साथ पेश की गयी है तथा अन्य गैस सलेण्डर के बारे मे कथन किया कि 3 गैस सलेण्डर भी प्रार्थी के होटल मालिक राम एण्ड श्याम के पडोसियों के थे जो उन्होने बुक करवाये थे जिनको उनके घर पहुँचाना था किन्तु जॉच दल द्वारा बिना अधिकार एवं जॉच किये ही जप्त कर लिये है। प्रार्थी के फर्म मालिक ने किसी प्रकार के प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 द्रवीकृत पेट्रोलियम व गैस का उल्लंघन नही किया है इसलिए 1955 की धारा 3/ का 7 मामला प्रार्थी के विरूद्व नहीं बनता है। यह तर्क भी दिया कि उक्त जब्ती कार्यवाही के दौरान प्रार्थी को सुनवायी अवसर नही दिया ओर ना ही फर्द जब्ति पर स्वतंत्र गहाव के हस्ताक्षर करवाये गये है तथा मनमाने तरीके से खाली फर्द चैकिंग पर हस्ताक्षर करवाकर उसका नाजायज फायदा उठाकर उक्त प्रकरण तैयार किया गया है। अतः नोटिस की कार्यवाही ड्रोप कर प्रार्थी के कब्जे से जप्त किये गये 5 गैस सलेण्डर को प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 27.9.2024 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 5 गैस सलेण्डर व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर रखने की कोई विधिक स्वीकृति एवं उचित कारण नही बताया गया है। जहॉ तक फर्म मालिक के दो गैस सलेण्डर 27.9.2024 को भरवाकर फर्म पर रखने का प्रश्न है तो उक्त डायरी मे सलेण्डर नम्बर अंकित नही होने से कौनसे दो सलेण्डर भरवाये गये है पुष्टि नही होती है इसके अतिरिक्त जब्त गैस सलेण्डरर्स मे से केवल एक ही गैस सलेण्डर भरा हुआ है इसलिए प्रार्थी का उक्त कथन निराधार है। शेष तीन गैस सलेण्डर्स भी फर्म मालिक के पडोसियों के बताये गये है किन्तु किसी भी पडौसी द्वारा उक्त गैस सलेण्डर की सुपुदर्गी बाबत कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश नही किया है। उक्त जब्त किये गये गैस सलेण्डर मे केवल एक ही गैस सलेण्डर पूर्ण रूप से भरा हुआ है शेष 3 गैस सलेण्डर मे 1.600 किलोग्राम गैस से लेकर 8.400 किलोग्राम गैस मोजूद थी इसलिए उनको भरवाने हेतु लेकर आने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन के आधार उक्त सभी गैस सलेण्डर का उपयोग फर्म पर लिये जाने की पुष्टि हो जाती है तथा अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सलेण्डर रखने/उपयोग के संबंध में कोई ठोस विधिक कारण बताने मे असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक स0मा0 द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 5 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। ज़िला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 5 गैस सलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13.8.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner